कार्यकारिणी समिति,नेतरहाट विद्यालय समिति की, दिनांक 25.04.2013 को संपन्न, बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

क्र0	नाम	पता	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	उपस्थिति
1	श्री सुशील कुमार चौधरी, भा०प्र०से० (सेवा निवृत)	पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट विद्यालय	सभापति	उपस्थित
2	श्री ज्योति भ्रमर, तुबिद, भा०प्र०से०	प्रधान सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड, राँची	सदस्य	उपस्थित
3	श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा, भा०प्र०से०	महामहिम राज्यपाल,झारखण्ड के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची	सदस्य	अनुपस्थित
4	श्री फिदेलिस टोप्पो	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड राँची	सदस्य	अनुपस्थित
5	श्री हंसराज सिंह	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची	सदस्य वित्त विभाग के प्रतिनिधि वित्त सचिव द्वारा मनोनीत	उपस्थित
6	श्री राम नरेश सिंह	प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट	सरदस्य सचिव	उपस्थित
7	श्री कृष्ण स्वरूप प्रसाद	184/सी0 2, हरिहर सिंह रोड, मोरहाबादी, राँची	सदस्य	उपस्थित
8	डा0 रजी अहमद	रीभर साइड, नावाटोली मेदनीनगर, पलामू	सदस्य	अनुपस्थित

कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

1. गत बैठक के अनुपस्थित सदस्यों का अनुपस्थिति–अवकाश (Leave of Absence) की स्वीकृति दी गई।
2. कार्यकारिणी समिति की दिनांक 14.03.2013को सम्पन्न,बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गई।
3. कार्यकारिणी समिति की गत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया।
4. विद्यालय परिसर में विभिन्न छात्रावासों इत्यादि के पूर्ण जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण/विस्तार इत्यादि हेतु लगभग 31 करोड़ रूपया का एक प्रस्ताव, सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु, मानव संसाधन विकास विभाग में लंबित है। उल्लेखनीय है कि इस कार्य को Turn-key basis पर संपन्न कराने हेतु झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची को कार्यकारी एजेंसी के रूप में मनोनीत करने का निर्णय कार्यकारिणी समिति द्वारा पूर्व में लिया गया था।

   उपरोक्त कार्य को गुणवता पूर्वक समय सीमा के अन्दर पूरा कराया जाना है। अतएव कार्यकारी एजेन्सी के चयन में पुनर्विचार की आवश्यकता है।

   यह कार्य पूर्णतया नये निर्माण का नहीं है और नेतरहाट जैसे नक्सली प्रभावित क्षेत्र में होने के कारण अन्य कठिनाईयों का भी होना सम्भावित है।

   राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग अथवा मानव संसाधन विकास विभाग के अभियन्त्रण कोषांग द्वारा समय पर Turn-key basis पर कार्य करने में कठिनाईयां हो सकती है, क्योंकि उनके पास पूर्व से ही कई विभागों/मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा कई Deposit basis पर कार्य दिये गये हैं।

   अतएव सम्पूर्ण पस्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणी समिति द्वारा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, राँची केंद्रीय मंडल (केन्द्र सरकार का संगठन), हिनु, राँची से सम्पर्क किया गया। वे अनुमानित

प्राक्कलन राशि का 5.75% की दर से विभागीय खर्च के भुगतान तथा स्वीकृत प्राक्कलन के कम से कम 30% राशि का अग्रिम भुगतान करने पर इस कार्य को Turn-key basis पर करने को तैयार हैं।

उल्लेखनीय है कि गृह विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र लोहरदगा एवं लातेहार जिले के पुलिस लाईन में भवन आदि का निर्माण कार्य, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग राँची केंद्रीय मंडल (CPWD Ranchi Central Division), हिनु, राँची द्वारा, सुचारूप से संपादित किया गया है।

उपरोक्त आलोक में विद्यालय परिसर अंतर्गत भवनों का जीर्णोद्धार/विस्तार/नव निर्माण कार्य हेतु, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग राँची केंद्रीय मंडल (CPWD Ranchi Central Division) हिनु राँची को, कार्यकारी ऐजेन्सी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त कार्यवाही के संगत अंश एवं संगत पत्रों को मानव संसाधन विकास विभाग को भेजते हुए अग्रतर कार्रवाई का अनुरोध करने हेतु विशेष कार्य पदाधिकारी को अधिकृत किया गया।

5. कोटेशन आमंत्रण सूचना सं०2(नेतरहाट) 2012–13 के आलोक में विद्यालय परिसर अन्तर्गत भवनों एवं अन्य संरचनाओं के जीर्णोद्धार(अनुमानित लागत रू० 6.00 करोड़) कार्य का DPR तैयार करने का कार्य 0.699 प्रतिशत की दर से कंसलटेन्सी चार्ज पर श्री रीमांशु हिरानी, कांके रोड,राँची को तथा नये भवनों का निर्माण कार्य तथा ऑडिटोरियम के Sound Proofing (अनुमानित लागत रू० 6.00 करोड़) कार्य के DPR तैयार करने का कार्य निवेदिता एसोसिएट्स, अशोक नगर, राँची को 0.699 प्रतिशत की दर से कंसलटेन्सी चार्ज पर आवंटित किया गया है।

श्री रीमांशु हिरानी, आर्किटेक्ट द्वारा भवनों के जीर्णोद्धार कार्य के लिए रू० 30.906 करोड़ का DPR तथा निवेदिता एसोसिएट्स, अशोक नगर, राँची द्वारा नये भवनों के निर्माण कार्य के लिए रू० 11.560 करोड़ का DPR समर्पित किया गया है। इन्हें आवंटित 0.699 प्रतिशत की दर पर कंसलटेन्सी चार्ज एवं 12.30 प्रतिशत सेवा कर के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

6. (i) नये भवनों का निर्माण कार्य तथा ऑडिटोरियम के Sound Proofing (अनुमानित लागत रू० 6.00 करोड़) का DPR तैयार करने हेतु आवंटित कार्य के आलोक में नये भवनों का निमार्ण (रू०11.56 करोड़ का) कार्य का DPR, निवेदिता एसोसिएट्स द्वारा समर्पित किया गया है जिसे तकनीकी स्वीकृति हेतु मानव संसाधन विकास विभाग को भेज दिया गया है। निवेदिता एसोसिएट्स द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि ऑडिटोरियम के पूर्ण Water Proofing Solution के बिना Sound Proofing का कार्य समय, धन की बर्बादी करना एवं अनावश्यक प्रयास होगा। ऐसे में निवेदिता एसोसिएट्स द्वारा ऑडिटोरियम के Sound Proofing के DPR की आवश्यकता नही रह गई।

(ii) उपरोक्त कंडिका 6(i) के संदर्भ में INCREDIBLE TESSERACT design studio, बिरसा नगर, राँची–3, के आकिटेक्ट, जिनसे बिहार सरकार ने राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में International Convention Center का निर्माण कराया है, को चिन्हित कर विचार–विमर्श किया गया। आकिटेक्ट द्वारा, स्थल निरीक्षण कर ऑडिटोरियम का विस्तार एवं Upgradation हेतु तैयार किये गये प्रस्ताव का कार्यकारिणी समिति की बैठक में, प्रस्तुतोकरण (Presentation) किया गया। समिति द्वारा प्रस्ताव में कतिपय संशोधन के साथ DPR तैयार करने की स्वीकृति दी गई। कोटेशन आमंत्रण सूचना सं०2(नेतरहाट) 2012–13 के संदर्भ में कंसलटेंन्सी चार्ज का समिति द्वारा निर्धारित (0.699%) दर पर ही DPR तैयार करने का सुझाव दिया गया जिसे आर्किटेक्ट द्वारा सहमति दी गई।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में समिति द्वारा INCREDIBLE TESSERACT design studio, बिरसा नगर, राँची–3, को सहमत दर पर DPR तैयार करने को स्वीकृति दी गई।

7. नेतरहाट विद्यालय परिसर (जलाशय क्षेत्र सहित) के सम्पूर्ण भू–भाग(लगभग 346 एकड़) का स्थल सर्वे का कार्य रू० 1150 प्रति एकड तथा मृदा परीक्षण का कार्य रू० 1950 प्रति बोर होल की दर से, समिति के पत्रांक 25 दिनांक 01.06.2012 द्वारा आवंटित किया गया। निवेदिता एसोसिएट्स द्वारा 262 एकड़ का स्थल सर्वेक्षण तथा 10 बोर होल का मृदा परीक्षण प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। आवंटित दर पर भुगतान की स्वीकृति दी गई।
8. शिक्षकों की नियुक्ति के क्रम में साक्षात्कार हेतु माह जनवरी 2013 में सरकारी विश्रामागार में कमरा रिक्त नही होने के कारण प्राइवेट होटल में प्राचार्य को ठहरने हेतु देय विपत्र का भुगतान लेने की स्वीकृति दी गई।
9. श्री ज्योति भ्रमर तुबिद,भा०प्रा०से०,प्रधान सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड–सह–सदस्य, कार्यकारिणी समिति, ने०वि०स० द्वारा स्वीकृत/प्रतिहस्ताक्षरित प्राचार्य का यात्रा–भात्ता विपत्र/विवरणी का भुगतान अनुमान्य होगा।
10. (i) समिति कार्यालय राँची के दैनिक व्यय, वाहन रख–रखाव, डीजल खपत आदि पर व्यय संबंधित, वि"ोष कार्य पदाधिकारी/प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अभिश्रव/विपत्र का भुगतान अनुमान्य होगा।

    (ii) नेतरहाट विद्यालय समिति कार्यालय राँची के वाहन संख्या–JH01AX-9121 का राँची में कार्यालय उपयोग के लिए झारखण्ड सरकार के अनुमान्यता के आधार पर प्रतिमाह 110 लीटर डीजल की खपत की अनुमान्यता होगो।

    (iii) अनुमान्यता से ज्यादा डीजल की खपत, अथवा राँची से बाहर आवागमन हेतु डीजल की खपत से संबंधित, श्री ज्योति भ्रमर तुबिद, भा०प्रा०से०, प्रधान सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड–सह–सदस्य, कार्यकारिणी समिति, ने०वि०स० द्वारा स्वीकृत/प्रतिहस्ताक्षरित, यात्रा विवरणी/अभिश्रव/विपत्र का भुगतान अनुमान्य होगा।
11. नेतरहाट विद्यालय में पार्ट टाईम शिक्षण/Interaction कार्य करने के लिए इच्छुक नेतरहाट विद्यालय के सेवा निवृत शिक्षकों/पूर्ववर्ती छात्रों को आंमन्त्रित कर सूची बनाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु विद्यालय द्वारा आवासन, भोजन एवं राँची से नेतरहाट आने–जाने का व्यय वहन किया जायगा।
12. अतिथि गृह की बुनियादी आवश्यकताओं (पाकशाला के लिए आवश्यक साज–सज्जा एवं मानव संसाधन के साथ) की पूर्ण व्यवस्था 31 मई 2013 तक सुनिश्चित करने का निदेश प्राचार्य को दिया गया ।
13. शिक्षक आवास (आचार्य नगर एवं विभिन्न बंगलों), चिकित्सक आवास तथा चिकित्सालय का जीर्णोद्धार और बुनियादी साज–सज्जा (Basic furnitures) का प्राक्कलन दिनांक 10 मई 2013 तक तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु मानव संसाधन विकास विभाग को समर्पित करने तथा विद्यालय परिसर अन्तर्गत सभी भवनों की मदवार (item wise) मापी की विवरणी तैयार कर प्राचार्य को उपलब्ध कराने का निदेश प्रशासनिक पदाधिकारी एवं कनीय अभियन्ता को दिया गया। वे कृत कारवाई से श्री ज्योति भ्रमर तुबिद भा०प्रा०से०, प्रधान सचिव,गृह विभाग, झारखण्ड–सह–सदस्य, कार्यकारिणी समिति, ने०वि०स० को अवगत करायेंगे।
14. श्री अनतं प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग प्रमंडल, लातेहार (बैठक में उपस्थित) को निम्नलिखित निदेश दिय गय :–

    (क) सभी आश्रमों में समान जल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। पूर्व में कराये गये Deep Tube well Boring, जो असफल हो गये है, उनके विकल्प Deep Tube well Boring की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(ख) नव निर्मित शिक्षक आवास, नाशपाती बगान एवं शैले में Deep Tube well Boring कर जल आपूर्ति व्यवस्था जल्द से जल्द बहाल की जाय।

(ग) जंगल warfare स्कूल को जल आपूर्ति की व्यवस्था के लिए, नये जलश्रोत आधारित, अलग जल आपूर्ति योजना का निर्माण सुनिश्चित किया जाय ।

(घ) विद्यालय के जल वितरण (Distribution) पद्धति को सुदृढ़ करने हेतु सभी Distribution Points में लगे Valve को ठीक किया जाय एवं पुराने हो चुके पाईपलाईनों का नवीकरण किया जाय।

(ड़) आश्रम समूह संख्या 6 एव 7 में प्रायः जलापूर्ति बाधित होती रही है। इसके समाधान के लिए आश्रम समूह संख्या 6 एवं 7 के लिए जलसंग्रह हेतु संरचना का निर्माण कराया जाय।

15. प्रशासनिक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि कोटेशन–आमंत्रण के माध्यम से चयनित CA फर्म द्वारा समिति के आय–व्यय/कार्यालय का अंकेक्षण कराना सुनिश्चित किया जाय।
16. प्राचार्य द्वारा बताया गया कि अंग्रेजी विषय के दो नव नियुक्त शिक्षकों द्वारा योगदान के पश्चात् त्याग पत्र दे दिया गया। नवनियुक्त राजनीति विज्ञान के शिक्षक एवं चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं किया गया। यह भी बताया गया कि चिकित्सा पदाधिकारी की मेधा सूची (Merit list) में द्वितीय स्थान प्राप्त अभ्यर्थी द्वारा चयनित होने की स्थिति में भी योगदान नही करने की सूचना दी गई है।

    उपरोक्त आलोक में मेधा सूची (Merit list)/आरक्षण बिन्दुओं के आधार पर चयन समिति द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों (अनुलग्क–1) की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।
17. प्राचार्य को निदेश दिया गया कि शिक्षण कार्य एवं अन्य जिम्मेवारियों का शिक्षकवार/विषयवार/प्रयोगशालावार आदि समान रूप से निर्धारित कर, प्रतिवेदन समिति को प्रेषित किया जाय।
18. प्रशासनिक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि नवनियुक्त शिक्षकों आदि को ससमय वेतन भुगतान एवं लेखा संधारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
19. शिक्षण–कार्य में उत्कृष्टता/नवीनता लाने के लिए विद्यालय के शिक्षकों को क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय (Regional college of Education), भुवनेश्वर, NIEPA,CBSE,NCERT एवं अन्य प्रतिष्ठित स्थानों में प्रशिक्षण हेतु विभिन्न विकल्पों की जानकारी प्राप्त कर समिति को अवगत कराने का निदेश प्रशासनिक पदाधिकारी को दिया गया।
20. (i) प्राचार्य को निदेश दिया गया कि सामान्य निकाय की, दिनांक 20.03.2013 को संपन्न, बैठक में शिक्षकों के अतिरिक्त पदों के सृजन का अनुमोदन के आलोक में, मानव संसाधन विकास विभाग को वांछित प्रस्ताव अविलम्ब प्रेषित किया जाय।

    (ii) सामान्य निकाय की उपरोक्त बैठक के निर्णय के आलोक में प्रशासनिक पदाधिकारी, श्री सुहर्ष कुमार एवं प्रतिनियुक्त कनीय अभियन्ता, श्री रमेश प्रसाद को निदेश दिया गया कि विद्यालय परिसर के प्रवेश द्वारों पर गेट लगाने तथा विद्यालय परिसर के घेरा पर बांस–रोपण कार्य का प्राक्कलन/DPR तकनीकी स्वीकृति हेतु मानव संसाधन विकास विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाय।
21. (i) विद्यालय के तृतीय/चतुर्थवर्गीय सेवाकर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर का अनुमोदन किया गया एवं प्राचार्य को निदेश दिया गया कि विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति की कार्रवाई पूरी की जाय।

    (ii) विशेष कार्य पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्राचार्य के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु, श्री ज्योति भ्रमर तुबिद, भा.प्र.से., सदस्य कार्यकारिणी समिति तथा श्री कृष्ण स्वरूप प्रसाद,सदस्य कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित, विज्ञापन का प्रारूप सभापति को प्रेषित करेगें। सभापति के अनुमोदन के पश्चात् विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।

22. विशेष कार्य पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि JREDA के निदेशक से सम्पर्क स्थापित कर नेतरहाट विद्यालय में JREDA के कार्य की अद्यतन स्थिति से सभापति को अवगत करायेंगे।

सभापति द्वारा उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की समाप्ति की गई।

ह0/–

(सुशील कुमार चौधरी)

सभापति,

कार्यकारिणी समिति,
नेतरहाट विद्यालय समिति।